संख्या–1502 /चौवालिस–1/1989

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/नोएडा/बीडा
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 9 नवम्बर, 1989

विषयः– विभिन्न सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के मामलों में शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला न्यायालयों में दायर सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के वादों की पैरवी के लिए जिला शासकीय अधिवक्ताओं की सेवायें प्राप्त करने पर उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य एक मुश्त पारिश्रमिक और पुस्तकालय भत्ता के अतिरिक्त संबंधित उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्धारित दरों पर भुगतान किया जायेगा।

2- ऐसे मामलों में जिसमें राज्य सरकार तथा उपक्रम/निगम दोनों ही पक्षकार बनाये गये हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अतिरिक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता एवं स्थाई अधिवक्ता को शासन द्वारा अनुमन्य एक मुश्त पारिश्रमिक एवं पुस्तकालय भत्ता के अतिरिक्त निम्न व्यवस्था होगीः–

(क) जिन मामलों में राज्य सरकार का हित निहित नहीं है और शासन की ओर से विरोध नहीं किया जाता है, उसमें संबंधित उपक्रम/निगम द्वारा प्रतिवाद कराने पर समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित सरकार दरों पर उपक्रम/निगम द्वारा अलग से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

(ख) जिन मामलों में राज्य सरकार/उपक्रम/निगम दोनों ही का हित निहित है और दोनों की ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जाती है, उनको केवल शासन द्वारा.ही मासिक भुगतान किया जायेगा परन्तु संबंधित उपक्रम/निगम द्वारा अलग से कोई पारिश्रमिक का/भुगतान नहीं किया जायेगा।

3- शासकीय अधिवक्ताओं के बिलों का सत्यापन शासन के न्याय (लेखा) अनुभाग द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में विधि परामर्शी निर्देशका के प्राविधान तथा फीस के संबंध में न्याय (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश लागू होगें।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

[आर० रमणी]
सचिव।

संख्या–1502 (1)/चौवालिस–1/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों से संबंधित शासन के सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश।
(3) निगमों/उपक्रमों से संबंधित प्रशासकीय अनुभाग।

आज्ञा से,

[आर० एन० सिन्हा]
अनु सचिव।